कृषि उपज विपणन समिति शाहदरा
(रा. रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार)
फल एवं सब्जी मार्केट गाजीपुर, दिल्ली-96

F.No:- 2(6)/APMC/SH/Mktg./2016/3120-3129 Dated:- 26/02/2020

सार्वजनिक सूचना

फल एवं सब्जी मन्डी, गाजीपुर मे कार्यरत सभी वैध लाईसैन्सधारियों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2020-21 के लिए लाईसैन्स नवीनीकरण हेतु फार्म 'एफ' पर आवश्यक दस्तावेजो के साथ 01 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक आवेदन करें। आवेदन के साथ निम्नलिखित सभी दस्तावेज भी आवश्यक रुप से संलग्न करें:-

1. आवेदन फार्म में माँगी गयी सभी सूचनायें स्पष्ट भरें।
2. फर्म के मालिक/भागीदारों के फोटो आवेदन फार्म पर हस्ताक्षर सहित चिपकायें।
3. फोटो के नीचे मालिक/भागीदारों के नाम एवंम मोबाईल न0. स्पष्ट रुप से लिखें।
4. आवेदन फार्म पर फर्म के मालिक/भागीदार के हस्ताक्षर के साथ फर्म की मोहर अवश्य लगायें।
5. बिजली शुल्क व फड चार्ज भुगतान का पूर्ण विवरण फर्म के लैटर पैड पर तैयार कर जमा करायें तथा जमा की गयी फीस की राशि आवेदन फार्म पर दर्शायें।
6. मण्डी शुल्क का भुगतान आवदेन की तिथि तक करें तथा उसकी प्रति फार्म के साथ संलग्न करें।
7. पिछले वर्ष की नवीनीकरण आवेदन पत्र की राशि की रसीद की छायाप्रति के साथ संलग्न करें।
8. यदि फर्म के संविधान में कोई परिवर्तन नही है तो फार्म पर **'कोई परिवर्तन नही'** लिखें, अन्यथा यदि है तो आदेश कि प्रतिलिपी भी फार्म के साथ सलंग्न करे।।
9. आवेदक फर्म अपने लैटर हैड पर अपनी दुकान पर आने वाली कृषि जिन्स (फल व सब्जी) के नामों को भी अंकित करें।
10. फर्म अपना मूल लाईसैन्स समिति द्वारा नवीनीकरण स्वीकति के उपरान्त कार्यालय में आवश्यक कार्यवाही हेतु ही जमा करायें।
11. फर्म के मालिक/ भागीदार व्यक्तिगत रुप से आवेदन फार्म जमा करायें एवं अपना पता मोबाइल नं0 सहित लिखें।
12. आवेदन फार्म पर फर्म के मालिक/भागीदार के आधार कार्ड, पैन कार्ड का नं0 अकित करते हुए स्वयं सत्यापित छायाप्रति लिपि सलंग्न करें।
13. फर्म द्वारा मार्च 2020 तक की मार्केट फीस जमा होने के बाद समिति बैठक में नवीनीकरण कार्यमद प्रस्तुत किया जाएगा। ताकि समिति की बैठक में पारित कार्यमद के उपरांन्त ही लाईसेन्स नवीनीकरण मान्य होगी। इसलिए समय से ही मण्डी शुल्क कार्यालय में जमा करवाये।
14. अधुरा आवेदन एवंम सलंग्न कागजात मान्य नहीं होगे इसलिए सभी कागजात फर्म के मालिक/भागीदार द्वारा सत्यापित हो।

नोटः-1. 31 मार्च 2020 तक स्पष्ट रुप से भरे गये नवीनीकरण आवेदन फार्म निर्धारित आवेदन राशि रुपये 100/- के साथ स्वीकार किये जायेंगे। अधूरी सूचना के साथ नवीनीकरण फार्म स्वीकार नही किये जायेंगे।

2. समिति/परिषद/न्यायलय का जो भी निर्णय (डी.ए.पी.एम./ए.पी.एम.सी. के नियम/अधिनियम/उप-नियम) पारित होगा। वह सभी लाईसेंन्सधारियों को मान्य होगा।

उपरोक्त सूचना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरान्त जारी की जा रही है।

25/2/2020
(लेखमी चन्द),
सहायक सचिव-।।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवंम उचित कार्यवाही हेतुः-

1. अध्यक्ष, कृषि उपज विपणन समिति, शाहदरा, दिल्ली- 110096।
2. सचिव, कृषि उपज विपणन समिति, शाहदरा, दिल्ली- 110096।
3. उपसचिव (सम्पदा एवं प्रबन्धन), दिल्ली कृषि विपणन परिषद, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058।
4. रख-रखाव शाखा, कृषि उपज विपणन समिति, शाहदरा, दिल्ली- 110096।
5. लेखा शाखा, कृषि उपज विपणन समिति, शाहदरा, दिल्ली- 110096।
6. फ्रुट एण्ड वेजीटेबल ऐसोसिएशन गाजीपुर सब्जी मन्डी, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि समस्त लाईसैन्सधारकों को सूचित करने का कष्ट करें।
7. फल एवं सब्जी मन्डी गाजीपुर आढ़ती ऐसोशिएसन दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि समस्त लाईसैन्सधारकों को सूचित करने का कष्ट करें।
8. गाजीपुर नई सब्जी मन्डी होलसेल वेलफेयर ऐसोसिएशन, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि समस्त लाईसैन्सधारकों को सूचित करने का कष्ट करें।
9. टौमेटो मर्चेन्टस ऐसोसिएशन (रजि0), दुकान संख्या-बी-91, नई सब्जी मन्डी, गाजीपुर, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि समस्त लाईसैन्सधारकों को सूचित करने का कष्ट करें।
10. ए.डी.सी. शाखा/लाईसेन्स शाखा/प्रवर्तन शाखा, कृषि उपज विपणन समिति, शाहदरा, दिल्ली- 110096।
11. नोटिस बोर्ड।